27वीं कार्य परिषद् की कार्यवाही

दिनांक 06 फरवरी, 2023 को प्रातः 11:30 बजे प्रशासनिक भवन स्थित सभागार कक्ष में कार्यपरिषद् की आहूत 27वीं बैठक की कार्यवाही :—

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहेः—

1.	प्रो0 एन0बी0 सिंह, मा0 कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 हरिहर प्रसाद शुक्ल, पूर्व प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
3.	प्रो0 सूर्य प्रसाद दीक्षित, पूर्व अध्यक्ष—हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय।	सदस्य
4.	प्रो0 अरूनभ चटर्जी, पूर्व आचार्य—वाणिज्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय।	सदस्य
5.	प्रो0 एहतेशाम अहमद, संकायाध्यक्ष—वाणिज्य	सदस्य
6	प्रो0 चन्दना डे, संकायाध्यक्ष—सामाजिक विज्ञान	सदस्य
7.	प्रो0 सौबान सईद, आचार्य—उर्दू, (सदस्य—अन्य पिछड़ा वर्ग)	सदस्य
8.	प्रो0 मसऊद आलम, आचार्य—अरबी, (सदस्य—अन्य पिछड़ा वर्ग)	सदस्य
9.	प्रो0 तनवीर खदीजा, आचार्य—अंग्रेजी विभाग	सदस्य
10.	प्रो0 सैयद हैदर अली, आचार्य—व्यवसाय प्रशासन विभाग	सदस्य
11.	डॉ0 मुशीर अहमद, सह आचार्य—व्यवसाय प्रशासन विभाग	सदस्य
12.	डॉ0 तत्हीर फातिमा, सह आचार्य—गृह विज्ञान	सदस्य
13.	डॉ0 वसी अहमद आज़म अंसारी, सहायक आचार्य—उर्दू विभाग	सदस्य
14.	डॉ0 पूनम चौधरी, सहायक आचार्य—इतिहास विभाग	सदस्य
15.	श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी, वित्त अधिकारी	विशिष्ट आमंत्रित
16.	डॉ0 भावना मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक	विशिष्ट आमंत्रित
17.	श्री अजय कृष्ण यादव, कुलसचिव	सचिव।

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् के समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और तदोपरान्त माननीय कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर बिन्दुवार निम्नांकित निर्णय लिये गयेः—

बिन्दु संख्या—27.1 :

कार्य परिषद की 26वीं बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 2022 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय :

परिषद् द्वारा पूर्व में कार्य परिषद की 26वीं बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 2022 की कार्यवाही का सम्पुष्टिकरण किया गया।

बिन्दु संख्या—27.2 :

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय :

परिषद् द्वारा पूर्व में कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 की कार्यवाही का सम्पुष्टिकरण किया गया।

बिन्दु संख्या–27.3 :

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय :

परिषद् द्वारा पूर्व में कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 की कार्यवाही का सम्पुष्टिकरण किया गया।

बिन्दु संख्या–27.4 :

कार्य परिषद् की 26वीं बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 2022 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report)।

निर्णय :

कार्य परिषद् की 26वीं बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 2022 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) से परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–27.5 :

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report)।

निर्णय :

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) से परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–27.6 :

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report)।

निर्णय :

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) से परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–27.7 :

प्रवेश समिति की 05 बैठक दिनांक 14 सितम्बर, 2022 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की 05 बैठक दिनांक 14 सितम्बर, 2022 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा विश्वविद्यालय में आगामी सत्र से प्रवेश बढ़ाये जाने हेतु कार्य परिषद् के सदस्यों से चर्चा के दौरान प्रो0 सूर्य प्रसाद दीक्षित द्वारा परामर्श दिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा कराए गये प्लेसमेंट का व्यापक प्रचार–प्रसार

3/–

Scanned with OKEN Scanner

किया जाय और विश्वविद्यालय में रोजगार मेलों का भी आयोजन किया जाय। प्रो0 दीक्षित द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को रोजगार परक बनाते हुए बी.ओ.एस. में सम्मिलित करते हुए आरम्भ किये जाने का भी सुझाव दिया गया।

प्रो0 अरूनभ चटर्जी द्वारा प्रवेश में वृद्धि हेतु परामर्श दिया गया कि ALUMINI Meet का आयोजन किया जाय। इसके साथ कार्य परिषद् द्वारा वर्तमान सत्र से 15 प्रतिशत छात्र/छात्राओं का प्लसेमेंट कराये जाने हेतु संकायाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया।

कार्य परिषद् द्वारा प्रवेश के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान रोजगारपरक पाठ्यक्रम को आरम्भ करने तथा ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश शून्य हैं अथवा कम होते हैं, उन्हें बन्द किये जाने का भी निर्णय लिया गया। स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत फैशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम में जिसमें कोई प्रवेश नहीं होता है फैशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम को बन्द करते हुए कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विभाग में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत एक अतिरिक्त सेक्शन खोलने पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रो0 सूर्य प्रसाद दीक्षित द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में पूर्व से पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के अन्तर्गत सुसज्जित लैब उपलब्ध है अतः मीडिया लैब का सदुपयोग किये जाने के लिए विश्वविद्यालय में स्क्रिप्ट राइटिंग, रिकॉर्डिंग, कमेंट्री इत्यादि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किये जायें, इससे विश्वविद्यालय को वित्तीय लाभ भी होगा।

रोजगार परक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की दिशा में विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट्स पाठ्यक्रम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने हेतु अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रो0 सूर्य प्रसाद दीक्षित, प्रो0 अरूनभ चटर्जी, प्रो0 एहतेशाम अहमद, प्रो0 तनवीर खदीजा परीक्षा नियंत्रक एवं कुलसचिव की एक समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्य परिषद् द्वारा उपरोक्त समस्त सुझावों पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>बिन्दु संख्या–27.8 :</u>

परीक्षा समिति की 05 बैठक दिनांक 10 जनवरी, 2023 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

<u>निर्णय :</u>

कार्य परिषद द्वारा परीक्षा समिति की 05 बैठक दिनांक 10 जनवरी, 2023 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>बिन्दु संख्या–27.9 :</u>

विद्या परिषद की 13वीं बैठक दिनांक 24 जनवरी, 2023 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

<u>निर्णय :</u>

विद्या परिषद की 13वीं बैठक दिनांक 24 जनवरी, 2023 में लिये गये निर्णयों को कुलसचिव द्वारा पढ़कर सुनाया गया। कुलसचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि

4/–

Scanned with OKEN Scanner

विद्या परिषद् के कुछ बिन्दु मूल बिन्दु के रूप में कार्य परिषद् में जोड़ लिये गये हैं, जो कि आगे प्रस्तुत किये जायेंगे। मुख्यतः विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2022 की कृत कार्यवाही के बिन्दु संख्या–2, 1. के अन्तर्गत वाणिज्य विभाग में "B.Com (Tours & Travel Management)" के संचालन के सम्बन्ध प्राप्त रिपोर्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराते हुए सुझाव मांगने के निर्देश दिये गये। प्राप्त होने वाले सुझावों पर विचार किये जाने एवं तद्परोन्त पाठ्यक्रम लागू किये जाने की अन्तिम आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागाध्यक्ष–वाणिज्य को अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या–27.10 :

वित्त समिति की 20वीं बैठक दिनांक 30 जनवरी, 2023 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

वित्त समिति की 20वीं बैठक दिनांक 30 जनवरी, 2023 में लिये गये निर्णयों को वित्त अधिकारी द्वारा पढ़ कर सुनाया गया, जिस पर कार्य परिषद् द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

वित्त अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन द्वारा शिक्षकों के वेतन मद में रू. 8 करोड़ 48 लाख का अनुदान मिला था, जो कि खत्म हो गया है, जिस कारण जनवरी, 2023 का वेतन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के खाते से धनराशि लेकर नियमित शिक्षकों का वेतन दिया जा रहा है। जैसे ही शासन से इस मद की धनराशि मिलेगी वैसे ही अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के मद से ली गयी धनराशि उस मद में वापस जमा कर दी जायेगी। इस पर कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए वित्त अधिकारी को निर्देशित किया गया कि शासन से अतिरिक्त बजट की मांग करते हुए प्रभावी पैरवी करें।

इसके साथ ही कार्य परिषद् द्वारा वित्त अधिकारी को यह भी निर्देश दिये गये कि उपरोक्त प्रकरण को आगामी वित्त समिति में भी प्रस्तुत करें।

बिन्दु संख्या–27.11 :

विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह दिनांक 01–03–2023 को आयोजित किये जाने सम्बन्धी श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, उ0प्र0 के पत्र संख्या–ई–7702/24–जी0एस0/ 2022–V दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 से कार्य परिषद् को संसूचित कराना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह दिनांक 01–03–2023 को आयोजित किये जाने सम्बन्धी श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, उ0प्र0 के पत्र संख्या–ई–7702/ 24–जी0एस0/ 2022–V दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 से कार्य परिषद् संसूचित हुयी तथा कार्य परिषद् द्वारा 7वें दीक्षान्त की तत्परता के साथ तैयारी किये जाने के निर्देश दिये गये।

बिन्दु संख्या–27.12 :

दीक्षान्त समारोह में मुख्य अतिथि के रूप आमंत्रित किये जाने वाले गणमान्य व्यक्ति के नाम पर विचार।

5/–

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा 7वें दीक्षान्त समारोह में मुख्य अतिथि के रूप आमंत्रित किये जाने वाले निम्न 03 महानुभावों के नामों पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा मा0 कुलाधिपति महोदया से किसी एक नाम पर अनुमोदन प्रदान किये जाने हेतु राज्यपाल सचिवालय को पत्र प्रेषित किये जाने पर भी अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

1. पद्मश्री चमू कृष्णशास्त्री, अध्यक्ष–भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
2. पद्मभूषण प्रो0 वशिष्ठ त्रिपाठी, कार्यकारी अध्यक्ष–काशी विद्वत परिषद्, वाराणसी।
3. प्रो0 रजनीश कुमार शुक्ल, कुलपति, महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा।

बिन्दु संख्या–27.13 :

दिनांक 01 मार्च, 2023 को विश्वविद्यालय के सप्तम् दीक्षान्त समारोह में शैक्षिक सत्र 2021–22 के छात्र/छात्राओं को दी जाने वाली उपाधियों तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के सप्तम दीक्षान्त समारोह में शैक्षिक सत्र 2021–22 में कुल 890 छात्र/छात्राओं (599 छात्रों एवं 291 छात्राओं) को प्रदान की जाने वाली उपाधियों पर कार्य परिषद् द्वारा अपना अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही कार्य परिषद् ने उक्त सत्र में स्नातक एवं परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले कुल 99 छात्र/छात्राओं को दिये जाने वाले 110 पदक (44 स्वर्ण पदक, 34 रजत पदक, 32 कांस्य पदक) पर भी अनुमोदन प्रदान करते हुए छात्र/छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनायें दी गयीं।

बिन्दु संख्या–27.14 :

प्रो0 तनवीर खदीजा को अधिष्ठाता–छात्र कल्याण नामित किये जाने सम्बन्धी संख्या–44/भा.विवि/कुसका/2023/590/20 दिनांक 11 जनवरी, 2023 से कार्य परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

प्रो0 तनवीर खदीजा को अधिष्ठाता–छात्र कल्याण नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय–ज्ञाप संख्या–44/भा.विवि/कुसका/2023/590/20 दिनांक 11 जनवरी, 2023 से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–27.15 :

डॉ0 अकमल शादाब, सहायक आचार्य, डॉ0 वसी अहमद आज़म अंसारी, सहायक आचार्य, डॉ0 रूचिता सुजय चौधरी, सहायक आचार्य को सहायक संकायाध्यक्ष–छात्र कल्याण नामित किये जाने सम्बन्धी पत्र संख्या–88/भा.विवि/कुसका/2023 दिनांक 19 जनवरी, 2023 से कार्य परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

डॉ0 अकमल शादाब, सहायक आचार्य, डॉ0 वसी अहमद आज़म अंसारी, सहायक आचार्य, डॉ0 रूचिता सुजय चौधरी, सहायक आचार्य को सहायक संकायाध्यक्ष–छात्र

Scanned with OKEN Scanner

कल्याण नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय–ज्ञाप संख्या–88/भा.विवि/कुसका/2023 दिनांक 19 जनवरी, 2023 से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–27.16 :

प्रो0 सौबान सईद, आचार्य को अधिष्ठाता–शैक्षणिक व उनके सहयोगार्थ डॉ0 अताउर्रहमान आज़मी, सहायक आचार्य एवं डॉ0 तनु डंग, सहायक आचार्य को उप अधिष्ठाता–शैक्षणिक नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय–ज्ञाप संख्या–103/भा.विवि/कुसका/2023/867/22 दिनांक 20 जनवरी, 2023 से कार्य परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

प्रो0 सौबान सईद, आचार्य को अधिष्ठाता–शैक्षणिक बनाये जाने तथा उनके सहयोगार्थ डॉ0 अताउर्रहमान आज़मी, सहायक आचार्य एवं डॉ0 तनु डंग, सहायक आचार्य को उप अधिष्ठाता–शैक्षणिक नामित किये जाने सम्बन्धी कार्यालय–ज्ञाप संख्या–103/भा.विवि/कुसका/2023/867/22 दिनांक 20 जनवरी, 2023 से कार्य परिषद् से संसूचित हुयी तथा उक्त व्यवस्था किये जाने पर सर्वसम्मिति से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–27.17 :

रिट ए याचिका संख्या–16499/2021 डॉ0 श्वेता अग्रवाल बनाम प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–01–2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् को अवगत कराया गया कि रिट ए याचिका संख्या–16499/2021 डॉ0 श्वेता अग्रवाल बनाम प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–01–2023 में निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं:–

> **"Heard learned Counsel for the petitioner, learned Standing Counsel, Sri Subham Tripathi, learned Counsel for the University and Sri Tushar Mittal, learned Counsel for the Chancellor.**
>
> **This Court while hearing the matter had passed the following orders on 10.10.2022:**
>
> ***"Shri Subham Tripathi, learned counsel for the respondent, on the basis of instructions in terms of the order dated 16.09.2022, submits that the result of the petitioner was opened by the Executive Council and she has been found selected. The interview of the petitioner was held on 25.08.2020 i.e. prior to 28.08.2020. However, he submits that on account of pendency of the Writ Petition No.9052 of 2020 and other connected writ petitions in which the EWS quota, roster and the advertisement has been challenged, the result could not be declared in view of the decision of the Executive Council dated 28.08.2020.***
>
> ***In view of above respondent counsel is directed to file an affidavit indicating as to whether there is any interim order operating in any of the writ petitions pending in regard to the selection in question and as to when the result of Dr. Tabinda Sultana and Dr. Praveen Kumar Rai has been declared, why the result of the petitioner may not be directed to be declared subject to orders passed in those writ petitions.***
>
> ***As prayed, two weeks' time is granted to file affidavit."***

7/–

Scanned with OKEN Scanner

It is argued that despite the result being declared, the petitioner has not been given the appointment letter as has been given to the other similarly placed persons.

In view of the statement by the Counsel for the respondents as recorded in the order dated 10.10.2022, it is directed that the petitioner shall be granted the appointment in accordance with law, in case, the other similarly placed persons have been given the appointment by the University, within a period of four weeks from the date of production of certified copy of this order.

In view of above, the writ petition is disposed off.

Order on I.A. No.09 of 2022 (Impleadment Application)

In view of the fact that the matter is finally disposed off, the impleadment application is rejected."

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 श्वेता अग्रवाल के ई0डब्लू0एस0 कैटेगरी में सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग के पद पर चयन का अनुमोदन प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया गया कि डॉ0 श्वेता अग्रवाल को सहायक आचार्य–शिक्षाशास्त्र के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के पूर्व इनके अंकपत्र/प्रमाणपत्र आदि समस्त प्रपत्रों की जांच उनके निर्गतकर्ता प्राधिकारी/संस्थाओं से करा लिया जाय तथा उक्तानुसार मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ तथा कुलाधिपति महोदया को भी अवगत करा दिया जाये।

साथ ही कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 श्वेता अग्रवाल के समस्त प्रमाणपत्रों के सत्यता की जांच पूर्ण होने के उपरान्त उन्हें माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–11723/2020 (एस./एस.) डॉ0 आशीष कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के अन्तर्गत निर्णय के अधीन सशर्त नियुक्ति पत्र जारी किया जाये तथा यदि इस अवधि में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किया जाता है अथवा कोई असहज स्थिति उत्पन्न हो, तो तत्समय परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लिये जाने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

<u>बिन्दु संख्या–27.18 :</u>

रिट ए याचिका संख्या–25824/2020 मूसी रज़ा बनाम अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–01–2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् को अवगत कराया गया कि रिट ए याचिका संख्या–25824/2020 मूसी रज़ा बनाम अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–01–2023 में निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं:–

"Heard learned Counsel for the petitioner, learned Standing Counsel, Sri Subham Tripathi, learned Counsel for the University and Sri Tushar Mittal, learned Counsel for the Chancellor.

Learned Counsel for the petitioner places reliance on a similar order passed on 10.10.2022 in the case of Dr. Sweta Agarwal vs State of U.P. and others (Writ-A No.16499 of 2021).

Considering the fact that the result of the petitioner has not been declared and the result of the similarly placed candidate Dr. Sweta Agarwal has declared, it is directed that the result of the petitioner shall also be declared in the manner in which the result of the other

8/–

Scanned with OKEN Scanner

similarly placed candidate, namely, Dr. Sweta Agarwal was declared, and in case, the petitioner is found to be selected, the petitioner shall be issued appointment letter in terms of the directions issued in the case of Dr. Sweta Agarwal with all expeditions.

In view of above, the writ petition is disposed off."

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कार्य परिषद् के समक्ष उर्दू विभाग के सहायक आचार्य (ई.डब्लू.एस.) के चयन से सम्बन्धित लिफाफा खोला गया। लिफाफा खुलने पर उसमें से अभ्यर्थियों की उपस्थिति पत्रक, चयन समिति की संस्तुति तथा दो विषय विशेषज्ञों के हस्तलिखित प्रपत्र मिले। चयन समिति की अनुशंसा से सम्बन्धित प्रपत्र पर तत्कालीन विभागाध्यक्ष—उर्दू, प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी द्वारा निम्नवत् उर्दू में टिप्पणी की गयी है:—

"नोट : इंटरव्यू के बाद शेख जामिया ने बगैर किसी राय दस्तखत करने को कहा मैं इस सलेक्शन से इत्तेफाक नहीं करता। इस लिए वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर फैसला किया जाय।

प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी
8, 9, 10/09/2020"

अन्य दो विषय विशेषज्ञों द्वारा हस्तलिखित हस्ताक्षरित प्रपत्र मिला, जिसमें निम्नवत् टिप्पणी अंकित की गयी है:—

"8, 9 और 10 को उर्दू में जनरल, ओ.बी.सी., ई.डब्लू.एस. और एस.सी. एस. टी. एक—एक आसामियों इंटरव्यू में अच्छी तरह गौरोफिक्र के बाद मैंने Recomendation पर साइन किया है और मेरी राय महफ़ूज़ है।

मौला बख्श
10—09—2020"

<u>To be annexed with selection committee report</u>

I have acted as an expert in the selection committees held for the Posts of Prof. Associate Professor and Asstt. Professor on 8, 9 and 10th of September, 2020. I Interviewed all the candidates for all the posts and finally the Selected the candidates on the basis on their academic record and interview performance. All the members of the selection committee agreed with the recomnendations barring one member due to some malicious reasons. In my opinion the recommendations are fair and tranparent.

Anis Ashfaq
10-9-2020

उपरोक्त प्रकरण पर चर्चा के दौरान यह संज्ञान में आया कि उर्दू विभाग के अन्तर्गत पूर्व में हुयी नियुक्तियों के चयन पत्र पर भी तत्कालीन विभागाध्यक्ष—उर्दू द्वारा इसी प्रकार की टिप्पणी अंकित की गयी थी। इस पर कार्य परिषद् द्वारा यह निश्चय किया गया कि तत्कालीन कार्य परिषद् द्वारा इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णय पर इस बैठक में पुनर्विचार नहीं हो रहा है।

श्री मूसी रज़ा के चयन सम्बन्धी प्रकरण के समस्त पहलुओं से कार्य परिषद् अवगत हुयी तथा विचार विमर्श के बाद यह मत स्थिर किया गया कि चयन समिति की संस्तुतियों में 02 सदस्यों द्वारा श्री मूसी रज़ा के नाम पर सहमति व्यक्त की गयी है, किन्तु

9/—

Scanned with OKEN Scanner

विभागाध्यक्ष–उर्दू द्वारा गम्भीर और नकारात्मक टिप्पणी की गयी है, ऐसे में श्री मूसी रज़ा को नियुक्ति पत्र जारी किये जाने पर असहमति व्यक्त की गयी। अग्रेतर कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि श्री मूसी रज़ा के चयन सम्बन्धी विवरण एवं इस सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष की टिप्पणी के आधार पर नियुक्ति पर कार्य परिषद् की असहमति से माननीया कुलाधिपति जी को संदर्भित कर दिया जाय तथा प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही की जाये। प्रकरण में समस्त बिन्दुओं से मा0 उच्च न्यायालय को भी अवगत करा दिया जाय।

साथ ही कार्य परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि इस अवधि में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किया जाता है अथवा कोई असहज स्थिति उत्पन्न हो, तो तत्समय परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लिये जाने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

<u>बिन्दु संख्या–27.19 :</u>

विश्वविद्यालय के संशोधित कुलगीत के अनुमोदन पर विचार।

<u>निर्णय :</u>

कुलसचिव द्वारा अवगत कराया कि विश्वविद्यालय का नाम विधायी अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–419/79–वि– 20–1(क)– 10–2020 दिनांक–12.03.2020 द्वारा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ के स्थान पर ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ दो वर्ष पूर्व हो चुका है, किन्तु परिवर्तित नाम के अनुरूप विश्वविद्यालय का कुलगीत तैयार न होने के कारण पिछले 02 दीक्षान्त समारोह में बिना कुलगीत के कराए गए हैं।

विश्वविद्यालय के नवीनतम नाम के अनुरूप कुलगीत तैयार किये जाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा छात्र/छात्राओं के बीच कुलगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें समिति द्वारा चयनित कुलगीत को लयबद्ध किये जाने हेतु श्री केवल कुमार, (यशभारती से सम्मानित संगीतकार) को प्रेषित किया गया था। श्री केवल कुमार द्वारा लयबद्ध किये जाने के उपरान्त तैयार किये गये कुलगीत के संगीत का प्रस्तुतीतरण कार्य परिषद् के समक्ष किया गया।

सभी सदस्यों द्वारा कुलगीत सुनने के उपरान्त यह परामर्श दिया कि कुलगीत को और अच्छे रूप में तैयार किये जाने हेतु किसी प्रख्यात गीतकार/ संगीतकार/ कवि/ शायर को मानदेय देकर तैयार कराया जाय। कुलगीत विश्वविद्यालय हेतु महत्वपूर्ण होता है उसे विद्यार्थियों से न बनवाकर किसी प्रख्यात गीतकार/संगीतकार/कवि/शायर से बनवाया जाना आवश्यक है। इस वर्ष कुलगीत का प्रस्तुतिकरण 07वें दीक्षान्त समारोह में स्थगित रखा जाये। चर्चा के दौरान ही प्रो0 सौबान सईद द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय में पूर्व से कुलगीत के साथ तराना भी है, जिस पर कार्यपरिषद द्वारा सम्यक् विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त के दौरान कुलगीत गाया जायेगा। चूंकि उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों में तराना जैसी व्यवस्था नहीं है अतएव अब विश्वविद्यालय में तराना की व्यवस्था को हमेशा के लिए समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

10/–

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या—27.20 :

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2023 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद द्वारा पूर्व आकस्मिक बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2023 की संलग्न कार्यवाही का सम्पुष्टिकरण किया गया।

बिन्दु संख्या—27.21 :

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2023 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report)।

निर्णय :

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2023 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) से परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या—27.22 :

अनुशासनिक समिति के कार्यवृत्त (20) दिनांक 02—02—2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि पूरक आरोपत्र मय सभी संलग्नकों के प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा को प्राप्त करने हेतु कहा गया, किन्तु उन्होंने पूरक आरोप पत्र प्राप्त करने से इन्कार किया और कहा कि उनके अधिवक्ता ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है। अतः प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा के विरूद्ध अग्रतर कार्यवाही किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा अनुशासनिक समिति के कार्यवृत्त दिनांक 02—02—2023 का अवलोकन किया गया तथा प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा के विरूद्ध अनुशासनिक समिति द्वारा तैयार किये गये आरोप पत्र को उनके द्वारा न लिये जाने को अनुशासनहीनता माना गया तथा घोर अप्रसन्नता भी व्यक्त की गयी तथा इस सम्बन्ध में अनुशासनिक समिति द्वारा संस्तुति दिये जाने के क्रम में यथोचित निर्णय लिये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। अग्रेतर कार्य परिषद् ने यह निर्देश दिये कि प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा को अन्य माध्यमों से आरोप—पत्र प्राप्त कराया जाये। प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा द्वारा अनुशासनिक समिति के गठन पर लगाये प्रश्न चिन्ह पर विचार किया गया, जिसमें यह पाया गया कि अनुशासनिक समिति विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुरूप ही गठित की गयी है, जिसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु संख्या—27.23 :

प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल / कुलाधिपति, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या—ई—8339 / 32—जी0एस0 / 2022—XIV दिनांक 22 दिसम्बर 2022 के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में तैयार किये गये विश्वविद्यालय के ''विजन—डॉक्यूमेन्ट'' के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा तैयार किये गये ''विज़न—डॉक्यूमेन्ट'' को कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया तथा प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

11/—

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या–27.24 :

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 24 जनवरी, 2023 के बिन्दु संख्या–2, 2. में लिये गये निर्णय के क्रम में स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के संशोधित अध्यादेश के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 24 जनवरी, 2023 के बिन्दु संख्या–2, 2. में लिये गये निर्णय के क्रम में स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के संशोधित अध्यादेश पर कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–27.25 :

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 24 जनवरी, 2023 के बिन्दु संख्या–2, 3. में लिये गये निर्णय के क्रम में पुनः परीक्षण कर प्रस्तुत किये गये पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम हेतु अध्यादेश के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा पी0एच0डी0 अध्यादेश को लागू किये जाने हेतु राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या–ई–7878/32–जी0एस0/2023–VIII दिनांक 27 जनवरी, 2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को लागू किये जाने की प्रक्रिया में सम्मिलित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नवीनतम (पी.एच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम 2022 को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु निम्नवत् समिति गठित की गयी:–

1. अधिष्ठाता–शैक्षणिक
2. परीक्षा नियंत्रक
3. कुलसचिव

कार्य परिषद् द्वारा उपरोक्त निर्णय पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–27.26 :

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 24 जनवरी, 2023 के बिन्दु संख्या–3 पर लिये गये निर्णय के क्रम में प्रस्तावित Endowment Fund Policy के बिन्दु संख्या–6 पर अंकित Endowment Fund Limit के आगे "For Medals" अंकित कर तथा बिन्दु संख्या–13 पर अंकित Tax Rebate बिन्दु को हटाते हुए Endowment Fund Policy के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा Endowment Fund Limit के आगे "For Medals" अंकित कर Tax Rebate बिन्दु को हटाते हुए Endowment Fund Policy पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–27.27 :

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 24 जनवरी, 2023 के अन्य बिन्दु संख्या–1 में लिये गये निर्णय के क्रम में Skill Hub के प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा Skill Hub के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

12/–

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या–27.28 :

डॉ0 मुतर्ज़ा अली अतहर, सहायक आचार्य, उर्दू विभाग की बिना किसी सूचना के अनुपस्थिति के कारण शिक्षण एवं विभागीय कार्यों में हो रही कठिनाई से कार्य परिषद् को अवगत कराते हुए डॉ0 मुतर्ज़ा अली अतहर के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 मुतर्ज़ा अली अतहर, सहायक आचार्य, उर्दू विभाग की लगातार लगभग 06 माह से अनुपस्थिति के प्रकरण पर विचारोपरान्त डॉ0 मुतर्ज़ा अली अतहर, सहायक आचार्य को "कारण बताओ नोटिस" जारी करने का निर्णय लिया गया। तत्क्रम में कुलसचिव को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

अन्य बिन्दु : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार :–

बिन्दु संख्या–27 अन्य 1 :

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2020–21 तक के लेखा परीक्षा आडिट प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। उक्त की अनुपालन आख्या शासन को प्रेषित की गयी थी। तत्पश्चात विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा प्रधान महालेखाकार के लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–14/2021–22 के भाग–दो "अ" पर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

निर्णय :

कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2020–21 तक की गयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश गये थे, जिसकी आख्या शासन को प्रेषित की गयी थी। उक्त के क्रम में उच्च शिक्षा अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 05 जनवरी, 2023 द्वारा भाग–दो "अ" के प्रस्तर–3 पर कार्यवाही पूर्ण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। ऑडिट के प्रस्तर–3 में विश्वविद्यालय के 03 शिक्षकों यथा : डॉ0 प्रवीण कुमार राय, सह आचार्य–भूगोल, डॉ0 ताबिन्दा, सुल्ताना, सहायक आचार्य–राजनीतिशास्त्र एवं डॉ0 नलिनी मिश्रा, सहायक आचार्य–शिक्षाशास्त्र की नियुक्ति के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी है। डॉ0 प्रवीण कुमार राय तथा डॉ0 ताबिन्दा सुल्ताना की नियुक्ति की जांच विश्वविद्यालय स्तर पर गठित अनुशासनिक समिति द्वारा पूर्व से ही जा रही है तथा डॉ0 नलिनी मिश्रा के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष–व्यवसाय प्रशासन विभाग, वित्त अधिकारी, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक के सयुंक्त बैठक दिनांक 01 फरवरी, 2023 द्वारा वरिष्ठ आचार्यों की त्रिसदस्यीय समिति गठित किये जाने की संस्तुति की गयी थी। तत्क्रम में कार्य परिषद् द्वारा तीनों शिक्षकों से सम्बन्धित प्रकरण पर संसूचित होते हुए निम्नवत् निर्णय लिया:–

1. डॉ0 ताबिन्दा सुल्ताना, सहायक आचार्य–राजनीतिशास्त्र एवं डॉ0 प्रवीण कुमार राय, सह आचार्य–भूगोल की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रकरण पूर्व में ही अनुशासनिक समिति द्वारा प्रचलित जांच में सम्मिलित करने हेतु कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। तद्नुसार शासन को अवगत करा दिया जाय।
2. डॉ0 नलिनी मिश्रा, सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग के प्रकरण में विस्तृत चर्चा की गयी चूंकि सम्बन्धित प्रकरण काफी पुराना है एवं तत्समय इस सम्बन्ध में कार्य परिषद्

13/–

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा वर्ष 2013 में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति से सम्बन्धित जांच पूर्व में करायी जा चुकी है तथा शिक्षकों को वेतनमान का लाभ भी मिल चुका है। अतएव सम्पूर्ण प्रकरण की वस्तुस्थिति कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु आख्या तैयार कर उपलब्ध कराने के लिए प्राध्यापकों की एक समिति का गठन किया गयाः–

क. प्रो0 फखरे आलम, विभागाध्यक्ष–उर्दू विभाग, ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।

ख. प्रो0 एस0पी0 त्रिवेदी, पूर्व विभागाध्यक्ष–जीव विज्ञान, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

ग. प्रो0 पवन अग्रवाल, आचार्य–हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

समिति अपनी रिपोर्ट एक माह में कार्य परिषद् को प्रस्तुत करेगी। तद्नुसार शासन को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्या–27 अन्य 2 :

.कार्यालय आदेश संख्या–2137/भा.विवि/कु.का./2022 दिनांक 26–12–2022 के माध्यम से गठित अनुशासनिक समिति द्वारा डॉ0 आरिफ अब्बास, सहायक आचार्य (निलम्बित) फारसी विभाग के विरूद्ध तैयार किये गये आरोपत्र पत्र को अनुमोदित किये जाने पर विचार।

निर्णय :

डॉ0 आरिफ अब्बास, सहायक आचार्य (निलम्बित) फारसी विभाग के विरूद्ध अनुशासनिक समिति द्वारा तैयार किये गये आरोपत्र पत्र मय संलग्नक को कुलसचिव द्वारा पढ़कर सुनाया गया, जिस पर कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–27 अन्य 3 :

राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या–ई–7878/32–जी0एस0/2023–VIII दिनांक 27 जनवरी, 2023 के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को लागू किये जाने की प्रक्रया में सम्मिलित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नवीनतम (पी.एच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम 2022 को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने पर विचार।

निर्णय :

बिन्दु संख्या–27.25 पर लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही किये जाने पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–27 अन्य 4 :

ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ के माध्यम से कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर स्थापित किये जाने हेतु एल.ओ.आई. किये जाने से कार्य परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय में वर्तमान में किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं है और न ही चिकित्सक/नर्स आदि का कोई पद सृजित है। विश्वविद्यालय में छात्रावासों में छात्र/छात्रायें रह रहे हैं साथ ही शिक्षकों/कर्मचारियों/अधिकारी हेतु बने आवासों में शिक्षक/कर्मचारी/अधिकारी

14/–

Scanned with OKEN Scanner

निवास भी कर रहे हैं, एसे में किसी समय आकस्मिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ने पर असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ से एक एल.ओ. आई. हस्ताक्षर किया गया है, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय हेल्थ सेंटर के लिए 3 से 4 कमरे, साफ–सफाई, विद्युत आदि की व्यवस्था करेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय पर अन्य कोई वित्तीय व्ययभार भी नहीं पड़ेगा। हेल्थ सेंटर में कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ द्वारा डॉक्टर, नर्स, दवा आदि की व्यवस्था विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं, सभी अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों एवं उनके परिवार वालों को निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

अतः ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ के सहयोग से कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर स्थापित किये जाने हेतु किये गये एल.ओ.आई. पर कार्य परिषद् द्वारा हर्ष व्यक्त करते हुए एल0ओ0आई0 में वर्णित शर्तों के अनुरूप अग्रेतर कार्यवाही करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>बिन्दु संख्या–27 अन्य 5 :</u>

डॉ0 तत्हीर फातिमा, प्रोवोस्ट तथा डॉ0 वसी आज़म अंसारी, वार्डेन द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रोवोस्ट/वार्डेन को दिये जाने वाला मानदेय उन्हें नहीं मिल रहा है।

<u>निर्णय :</u>

कार्य परिषद् द्वारा वित्त अधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रोवोस्ट/वार्डेन को अन्य विश्वविद्यालयों की भांति नियमानुसार मानदेय दिये जाने हेतु कार्यवाही करें, जिस पर कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में मा0 कुलपति जी द्वारा कार्य परिषद् के आन्तरिक सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय श्री राज्यपाल द्वारा नामित कार्य परिषद् के सदस्य प्रो0 हरिहर प्रसाद शुक्ल, प्रो0 सूर्य प्रसाद दीक्षित एवं प्रो0 अरूनभ चटर्जी का कार्यकाल दिनांक 08 फरवरी, 2023 को समाप्त हो रहा है। कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में प्रो0 हरिहर प्रसाद शुक्ल, प्रो0 सूर्य प्रसाद दीक्षित एवं प्रो0 अरूनभ चटर्जी के योगदान पर कार्य परिषद् के अन्य सदस्यों द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्य परिषद् की बैठक समाप्त हुयी।

(अजय कृष्ण यादव)
कुलसचिव/सचिव

(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner